स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक : प.4(1-आर)(   )स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 242 दिनांक : 24.06.2022
1.7-2022

कार्यालय आदेश

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर, द्वारा ज़ारी आक्षेप संख्या 31 जो विश्वविद्यालय की इकाइयों द्वारा जांच दल के समक्ष प्रस्तुत लेखा अभिलेखो के आधार पर आलौच्य अवधि 2019-20 से संबन्धित है। उक्त आक्षेप द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय में परिसम्पति पंजिका संधारण का अभाव है। प्रकरण में स्थानीय निधि अंकेक्षण, जांच दल, द्वारा इस संबंध में निम्नांकित अंकेक्षण टिप्पणी की गई है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 281(V) के अनुसार अनुदान प्राप्त कर्ता संस्थायें इस नियम में निर्धारित प्रारूप में एक रजिस्टर तैयार करेगी जिसमे पूर्णतया या प्रमुख रूप से सरकारी अनुदानों से आवाप्त स्थाई या अर्धस्थायी परिसम्पतियों, पूंजीगत प्रकृति की चल या अचल सम्पति को जिसका मूल्य 100/- रूपये से अधिक हो, दर्ज़ किया जायेगा। ऐसा रजिस्टर अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था द्वारा उस स्वीकृति कर्ता से सम्बन्ध में तैयार किया जायेगा तथा उसकी एक प्रति प्रतिवर्ष स्वीकृति प्राधिकारी को भेजी जायेगी। नियम 281(vi) के अनुसार उक्त विवरण अनुसार संधारित रजिस्टर लेखा परीक्षा हेतु लेखा दल को उपलब्ध करवाया जायेगा। संस्था के द्वारा परिसम्पति पंजिका अंकेक्षण हेतु जांच दल को प्रस्तुत नहीं की।

अतः उक्तानुसार चल सम्पति से संबंधित परिसम्पति पंजिका संधारण हेतु विश्वविद्यालय इकाई स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष/डीडीओ वाइज़ अलग अलग रजिस्टर तैयार करे तथा भूसम्पति कार्यालय इकाई का चल / विश्वविद्यालय की समस्त अचल सम्पति से संबंधित परिसम्पति पंजिका का संधारण हेतु भूसम्पति अधिकारी,स्वाकेराकृवि, रजिस्टर तैयार करावे।

उक्त अभिलेख, वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार परीक्षा दल द्वारा वांछनीय है। इसलिए उपरोक्तानुसार इस विश्वविद्यालय में परिसम्पति पंजिका संधारण हेतु निर्देश जारी किये जाते है। कृपया इसे अति आवश्यक समझे।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/ईओ/डीडीओ।
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
5. प्रभारी CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वि.वि. वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक